



संख्या—cm-283
28/06/2017

मानव श्रृंखला नशामुक्ति के पक्ष में जनमत का प्रकटीकरण था :- मुख्यमंत्री

पटना, 28 जून 2017 :- आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में बिहार पुलिस द्वारा आयोजित मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह 2017 का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के आयोजन के लिये पुलिस मुख्यालय को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार शराबबंदी से नशामुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी, नशामुक्ति कोई साधारण कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी का निर्णय लिया गया तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। कुछ लोग शराबबंदी को अपने मौलिक अधिकार से जोड़ते हैं। यह लिबर्टी का नहीं, बर्बादी का विषय है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के निर्णय को व्यापक समर्थन मिला है, यह जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि घटनायें तो घटित होती रहेंगी। समाज में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। कानून जितना भी कड़ा हो, कुछ लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। कुछ लोग अवैध धंधे कर रहे हैं। बच्चों को भी अवैध धंधों में लगा देते हैं। लालच के कारण कुछ लोग इस धंधे में लगे हुये हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में विशाल बहुमत है। चंद लोग यह दिखाते हैं कि शराबबंदी फ्लॉप हो गया है। इससे गड़बड़ी की जानकारी मिल जाती है और गड़बड़ी के विरुद्ध कार्रवाई मजबूती के साथ होती है। मैं इसको सकारात्मक रूप में लेता हूँ। लोग अगर कमियों को उजागर करते रहेंगे तो शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगा। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य नशामुक्ति है। शराबबंदी के पक्ष में बनाये गीत में भी नशामुक्ति की बात कही गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में जबर्दस्त वातावरण बनाया गया था। 1 अप्रैल 2016 के दो से ढाई महीना पहले से शराबबंदी के पक्ष में अभियान चलाया गया था। इस अभियान में एक करोड़ 19 लाख अभिभावकों ने अपने बच्चों के माध्यम से शराब नहीं पीने का शपथ पत्र भरकर जमा किया था। 9 लाख जगहों पर दीवार पर नारे लिखे गये थे। हजारों जगहों पर नुक्कड़-नाटक का मंचन किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले पूर्ण शराबबंदी खण्डवार लागू करने की योजना थी। 1 अप्रैल 2016 से शहरी क्षेत्र को छोड़कर शराबबंदी लागू की गयी परन्तु चलाये गये अभियान का शहरों में भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि कोई भी शराब के दुकान को खुलने नहीं दे रहा था। माहौल को देखते हुये 5 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जनवरी 2017 से जन जागरूकता के लिये अभियान चलाया गया। शराबबंदी से नशामुक्ति की ओर जनमत को जगाने के प्रकटीकरण के लिये मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया गया। उम्मीद थी कि इसमें दो करोड़ लोग भाग लेंगे। 21 जनवरी को बनाई गई मानव श्रृंखला में दो करोड़ के जगह चार करोड़ लोगों ने भाग लिया। यह नशामुक्ति के पक्ष में जनमत का प्रकटीकरण था। पंक्तियों के पीछे पंक्तियाँ लगी। लोग एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े रहे। वैज्ञानिक तौर पर गिनती में यह बताया गया कि मानव श्रृंखला में चार करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि निश्चितता नहीं आनी चाहिये। इधर निश्चितता दिखने लगी थी, फिर सख्ती हुयी तो बहुत लोग पकड़े गये।

किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि जन चेतना की आवश्यकता है, इसके लिये निरंतर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि निश्चय यात्रा में जन चेतना सभायें होती थी। मैंने सभी को आगाह किया था कि नजर रखियेगा कि कहीं शराब को छोड़कर लोग दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं करने लगे हैं। महिलाओं को भी इस संदर्भ में जगाया गया था। उन्होंने कहा कि जिलों में खोले गये डी0 एडिक्शन सेंटर पर सभी को ड्रग्स के लिये भी प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ सभी एजेंसियों को मिलकर कार्रवाई करना है। बिहार पुलिस, उत्पाद विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हुआ है और कार्रवाई हो रही है। इसके लिये पहले से ही सख्त कानून बना हुआ है।

मनी लांड्रिंग कानून के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पाँच-छह वर्षों से केन्द्र सरकार के समक्ष इस बात को उठाते रह रहा हूँ कि मनी लांड्रिंग कानून के तहत राज्य सरकार को भी शक्ति प्रदान की जाय। राज्य सरकार को पाँच करोड़ तक संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिलना चाहिये। हमने इसकी माँग हमेशा की है। अगर राज्य सरकार को अधिकार मिलता तो मनी लांड्रिंग कानून के तहत काफी लोग पकड़े जाते। उन्होंने कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय (ई0डी0) को डायलूट करने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अगर राज्य पुलिस को भी शक्ति प्रदत्त की जाती तो और सशक्त कार्रवाई संभव हो पाती। शराबबंदी का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार एक बहुत बड़ा प्रयोग स्थल है। उन्होंने कहा कि शराब के व्यापार से सरकार को पाँच करोड़ रुपये की आमदनी थी परंतु साथ ही लोगों का दस हजार करोड़ रुपये शराब में बर्बाद हो रहा था। हम पाँच हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान को घाटा नहीं मानते हैं। हम जनहित में काम करते हैं और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद दूध, मिठाई, सिलेसिलाये वस्त्र, सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी है। लोगों का जो पैसा बच रहा है, उससे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, भोजन पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब के कर के जरिये जो आमदनी थी, मैं उसे अपवित्र आमदनी मानता हूँ। शराबबंदी के बाद कर के दूसरे स्रोत बढ़ गये हैं। इस वितीय वर्ष में राज्य सरकार के आमदनी में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की कमी आयी है। अगली बार यह भी खत्म हो जायेगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर लोग कहते थे कि बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आयेगी। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिहार में आने वाले घरेलू पर्यटकों में 68 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटकों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुयी है। उन्होंने कहा कि दो माह पूर्व केरल में कैथलिक विशप संस्थान द्वारा शराबबंदी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। लोगों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में प्रभाव तथा कर में नुकसान की बातें कही गयी थी। मैंने सभी को बिहार का उदाहरण देते हुये स्पष्ट रूप से बता दिया था। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर इस तरह की दी जाने वाली तर्क इलॉजिकल है। पर्यटक शराब पीने नहीं बल्कि जगह को देखने जाते हैं, जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के बाहर भी कई राज्यों में शराबबंदी की माँग होने लगी है। गुजरात में भी जहाँ शराबबंदी शुरू से लागू था, बिहार के तर्ज पर कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाय तो इसे देश भर में लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो विरोध करेंगे ही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब कोई अच्छा काम करोगे तो पहले लोग मजाक उड़ायेंगे, फिर उसका विरोध करेंगे और उसके बाद सब साथ चल देंगे। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला साथ चल देने का ही एक उदाहरण था। पूरी दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि किसी चीज के हक/पक्ष में इतने लोग एक साथ खड़े हों।

समारोह में शामिल पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊपर से सिस्टम को टाइट रखियेगा तो नीचे वाले गड़बड़ी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान फेल नहीं

होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा चीन का उदाहरण देता हूँ कि पहले चीन में अफिम का प्रचलन था, आज अफिम से मुक्त होकर चीन कितना आगे बढ़ गया है। अगर अपना भारत भी इन चीजों से उबर जायेगा तो चीन से बहुत आगे निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले किसी को भी नहीं बख्खियेगा। संकल्प पर कायम रहियेगा तो आने वाली पीढ़ी बहुत सम्मान के साथ आपको याद रखेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराध इकाई द्वारा तैयार मादक पदार्थों से संबंधित अनुसंधान निर्देशिका के साथ-साथ साइबर अपराध रोकथाम, अनुसंधान और साइबर सुरक्षा हस्त पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नशामुक्ति संदेश एस0एम0एस0 के प्रेषण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मादक द्रव्यों के सुरक्षित भंडारण हेतु राज्य के चालीस जिलों में गोदाम निर्माण कार्य का रिमोट से उद्घाटन एवं कार्य प्रारंभ किया। आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं— प्रिंस राज, खुशबू सिंह, सुधांशु शेखर, मेघा चौहान, रोहित कुमार को पारितोषिक वितरण किया गया। मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह 2017 के अवसर पर लगाये गये चिकला प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पुलिस विभाग की तरफ से प्रतीक चिह्न भेंट किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लि0 श्री ए0के0 उपाध्याय, डी0जी0 प्रशिक्षण श्री के0एस0 द्विवेदी, डी0जी0 बी0एम0पी0 श्री सुनील कुमार, प्रधान सचिव समाज कल्याण श्री अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
